भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
मौखिक प्रश्न संख्या : 44
गुरुवार, 28 नवंबर, 2024/7 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

डिजी यात्रा नीति

***44 डॉ. शशि थरूर:**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डिजी यात्रा नीति के सम्बन्ध में निजता से जुड़ी चिंताओं, विशेष रूप से 'बायोमेट्रिक डेटा' से संबंधित चिंताओं के बारे में नीति आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का संज्ञान लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू)

(क) और (ख): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

डिजी यात्रा नीति के संबंध में डॉ. शशि थरूर द्वारा पूछे गए दिनांक 28.11.2024 के लोक सभा मौखिक प्रश्न संख्या 44 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): नीति आयोग ने जून 2023 में "रिस्पॉन्सब्ल एआई # एआई फॉर ऑल – अडॉप्टिंग द्रि फ्रेम्वक: ए यूज़ केस अप्रोच ऑन फ़ेक्ष्ण रेकग्निश्न टेक्नॉलजि" शीर्षक से एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया था। इस श्वेत पत्र में चेहरे से पहचान तकनीक (आरएफटी) के व्यापक और वृहत दायरे के भीतर चेहरे से पहचान तकनीक (एफवीटी) के एक उपयोग मामले के रूप में डिजी यात्रा कार्यक्रम का उल्लेख किया गया था। डिजी यात्रा के संबंध में निजता संबंधी चिंताओं पर कोई अन्य सिफारिश नीति आयोग से प्राप्त नहीं हुई है। डिजी यात्रा पहल में निजता और बायोमीट्रिक डेटा हैंडलिंग पर उक्त श्वेत पत्र की सिफारिशों का पूर्ण संज्ञान लिया गया है। डिजी यात्रा सेंट्रल इकोसिस्टम और डिजी यात्रा ऐप्स, डिजाइन द्वारा निजता (पीबीडी) के मूल सिद्धांतों पर बनाए गए हैं। डिजाइन/डिफॉल्ट रूप से, यात्री के व्यक्तिगत पहचान योग्य (पीआईआई) डेटा का कोई केंद्रीय भंडारण नहीं होता है। संपूर्ण यात्री डेटा एन्क्रिप्टेड होता है और यात्री के स्मार्टफोन वॉलेट में संग्रहित होता है तथा केवल सीमित समय के लिए मूल हवाईअड्डे, जहाँ यात्री आईडी को मान्य करने की आवश्यकता होती है, के साथ साझा किया जाता है। उड़ान के प्रस्थान के 24 घंटे बाद डेटा को सिस्टम से हटा दिया जाता है।

*****